

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2459
दिनांक : 13.9.2011

✓ सचिव

आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी,
ए-20, के0पी0-III, ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1470/सत्तर-2-2008-2(485)/2007, दिनांक 10.09.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निदेशित किया गया है कि शासनादेश संख्या-3757/सत्तर-2-2007-2(485)/2007, दिनांक 18.10.2007 द्वारा आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए-20, के0पी0-III, ग्रेटर नोएडा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/3301, दिनांक 30.01.2008 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए-20, के0पी0-III, ग्रेटर नोएडा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2006-07 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय/संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधायें एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन पूरा कर लेगी तथा इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उक्त शैक्षिक सत्र 2006-07 बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से सत्र 2006-07 की काउन्सलिंग द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार 180 दिन का पठन-पाठन कराया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए-20, के0पी0-III, ग्रेटर नोएडा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2006-2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। शासनादेश संख्या-3757/सत्तर-2-2007-2(485)/2007, दिनांक 18.10.2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2030
दिनांक : 15-7-2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए-20, नोलेज पार्क-तृतीय ग्रेटर नोएडा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 30.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए-20, नोलेज पार्क-तृतीय ग्रेटर नोएडा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

F. No./NRC/NCTE/UP-2127/2015/

10/025-30

Date:

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

20 MAY 2015

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to IIMT College of Science and Technology, A-20, KP-III, Greater Noida, U.P. for B.Ed. Course vide order no. F.NRC/NCTE/F-7/UP-2127/2008/43163-43169 dated 04.04.2008 with an annual intake of 100 seats.

3. AND WHEREAS, the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed. which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely:—

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to IIMT College of Science and Technology, A-20, KP-III, Greater Noida, U.P. for conducting B.Ed. programme of two years duration with annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Contd...2

...2...

7. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) ~~The affidavit with enclosure submitted along with application.~~
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order


(Dr. S. K. Chauhan)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Secretary/Correspondent, Association of Management Studies, 175, Saket, Meerut, Uttar Pradesh
2. The Principal, IIMT College of Science and Technology, A-20, KP-III, Greater Noida, U.P.
3. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
4. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
5. The Registrar, Ch. Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file.


Regional Director